भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *467
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोरापुट और जालंधर में 'हर घर जल' योजना का कार्यान्वयन

***467. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोरापुट और जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कितने ग्रामीण परिवार हैं;
(ख) अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - 'हर घर जल' योजना की शुरुआत के बाद से उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में इसके तहत वर्ष-वार कितने ग्रामीण परिवारों को सक्रीय घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे कितने ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें इस योजना के तहत अभी तक एफएचटीसी प्राप्त नहीं हुए हैं; और
(घ) अगस्त 2019 से उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कोरापुट और जालंधर में 'हर घर जल' योजना के कार्यान्वयन के संबंध में श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *467 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त, 2019 से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

ओडिशा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोरापुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 5,32,290 ग्रामीण परिवार हैं और कोरापुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के शुभारंभ से 3,96,592 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा शेष 1,28,649 ग्रामीण परिवारों को अभी कवर किया जाना है। कोरापुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार कवरेज नीचे दिया गया है:

वर्ष	**वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एफएचटीसी की संख्या**
2019-20	18,080
2020-21	68,458
2021-22	73,018
2022-23	84,032
2023-24	1,06,579
2024-25	46,425
कुल	**3,96,592**

पंजाब राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 2,24,197 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इनमें से 99,542 ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। जालंधर निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार कवरेज नीचे दिया गया है:

वर्ष	**वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एफएचटीसी की संख्या**
2019-20	3,329
2020-21	61,465
2021-22	33,805
2022-23	-
2023-24	-
2024-25	943
कुल	**99,542**

(घ): जल जीवन मिशन के अंतर्गत, निधियां सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिला-वार निधि के ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्त वर्ष 2024-25 (31.03.2025 तक) के दौरान आवंटित निधि, आहरित निधि और ओडिशा राज्य द्वारा सूचित निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	0.78	364.74	364.74	365.52	260.46	241.12
2020-21	105.07	812.15	609.11	714.18	686.41	671.03
2021-22	27.77	3,323.42	2,492.56	2,520.33	1,305.79	1,289.31
2022-23	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,149.50
2023-24	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.36
2024-25*	484.23	2,455.94	368.39	852.62	628.93	2,565.20

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *31.03.2025 की स्थिति के अनुसार

इसी तरह, पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्त वर्ष 2024-25 (31.03.2025 तक) के दौरान आवंटित निधि, आहरित निधि और पंजाब राज्य द्वारा सूचित निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
2020-21	257.10	362.79	0.00	257.10	146.74	152.77
2021-22	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	175.81
2022-23	267.48	2,403.46	0.00	264.78	264.80	210.69
2023-24	0.00	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
2024-25*	15.97	644.54	50.00	65.97	47.16	197.18

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *31.03.2025 की स्थिति के अनुसार

*****